



TELEGRAM : SCINDRECH
दुरभाष/TEL : 26962819, 26567373
: 26565694, 26562133
: 26565687, 26562144
: 26562134, 26562122 (EPBAX)
फैक्स/FAX : 26960629, 26529745
Website : http://www.dsir.gov.in



सूचना
का अधिकार

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
टेक्नोलॉजी भवन
नया महरौली मार्ग, नई दिल्ली - 110 016

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department of Scientific and Industrial Research
Technology Bhavan
New Mehrauli Road, New Delhi - 110 016

सं. IRDPP-RDI0RRG/1/2023-IRDPP-DSIR

दिनांक: 15.05.2023

आदेश

विषय: 31.03.2024 तक संशोधित वैधता के साथ डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त उद्योगों और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों (सिरो) के इन-हाउस आर एंड डी यूनिट के संबंध में डीएसआईआर पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में

डीएसआईआर, अस्पताल के अलावा अन्य अनुसंधान संस्थानों जैसे उद्योग और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों (सिरो) की इन-हाउस आर एंड डी इकाइयों को 'पंजीकरण प्रमाण पत्र' जारी कर रहा है। डीएसआईआर में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, पंजीकरण प्रमाणपत्र 2-3 साल की वैधता के साथ जारी किया जाता है।

2. कृपया छूट की समीक्षा के संबंध में वित्त मंत्रालय के अधिसूचना संख्या 334/03/2023-टीआरयू दिनांक 1.02.2023 का संदर्भ लें, जिसमें वर्ष के दौरान समीक्षा करने के उद्देश्य से 31.3.2024 तक विस्तारित की जा रही स्टैंडअलोन अधिसूचनाएं **अनुबंध-1** में हैं।

उल्लेखनीय है कि अधिसूचना सं. 51/96-सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित और अनुसंधान संस्थानों, सरकारी विभागों, प्रयोगशाला, आईआईटी आदि द्वारा अनुसंधान उपकरणों के लिए सीमा शुल्क छूट भी अनुलग्नक-1 के अंतर्गत आते हैं और इसलिए इसे 31.03.2024 तक बढ़ाया जा रहा है।

3. उपरोक्त के मद्देनजर, यह निर्णय लिया गया है कि डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त इन-हाउस आरएंडडी इकाइयों और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों (सिरो) के संबंध में जहां 31.03.2022 और 31.03.2023 से आगे डीएसआईआर पंजीकरण प्रमाणपत्र 31.03.2024 से अधिक वैधता के साथ पहले ही दिया जा चुका है, यह वित्त मंत्रालय के अधिसूचना संख्या 334/03/2023-TRU दिनांक 1.02.2023 में निर्धारित वैधता शर्तों के अधीन हो सकता है, जिसमें 31.03.2024 तक संशोधित वैधता के साथ-साथ डीएसआईआर पंजीकरण से संबंधित संशोधित नियम और शर्तें संलग्न हैं।

4. हालांकि, उद्योगों और सिरो की इन-हाउस आरएंडडी इकाइयों की मान्यता के नवीनीकरण की प्रक्रिया विभाग द्वारा डीएसआईआर में विधिवत रूप से निर्धारित मौजूदा दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं के अनुसार की जाएगी।

5. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

डॉ. पी. के. दत्ता

वैज्ञानिक- 'जी' और प्रमुख आरडीआई

ईमेल- pkdutta@nic.in, फोन- 011 26534823, 011 26590394

सेवा में,

सभी हितधारक

प्रतिलिपि

सचिव, डीएसआईआर के प्रधान निजी सचिव

इन-हाउस आरएंडडी इकाइयों के पंजीकरण के लिए संशोधित नियम और शर्तें

1. पंजीकरण, पंजीकरण पत्र में निर्दिष्ट अवधि के लिए मान्य होगा। हालांकि, पंजीकरण की वैधता वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी/संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार भिन्न हो सकती है।
2. मान्यता की अवधि के दौरान और समय-समय पर लागू प्रासंगिक सरकारी नीतियों के अधीन उपकरणों, यंत्रों, उनके पुर्जों, उपभोग्य सामग्रियों आदि के आयात/खरीद पर सीमा शुल्क छूट का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण, इन-हाउस आर एंड डी यूनिट को पात्रता प्रदान करेंगे। ऐसी छूट के लिए निर्धारित प्रपत्रों में अलग से आवेदन करना होगा। इन-हाउस आरएंडडी इकाइयों को समय-समय पर जारी/संशोधित सीमा शुल्क अधिसूचना के नियमों/शर्तों का पालन करना चाहिए।
3. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा इन-हाउस आरएंडडी यूनिट का पंजीकरण सीमा शुल्क में छूट देने का दावा नहीं करते हैं। ऐसी छूट प्राप्त करने के इच्छुक संस्थान सीमा शुल्क अधिकारियों को अलग से आवेदन करेंगे।
4. अनुसंधान एवं विकास उपकरण के निपटान/बिक्री के मामले में, लागू अधिसूचना जिसके तहत भारत में उपकरण का आयात किया गया था, को ध्यान में रखते हुए सीमा शुल्क अधिकारियों से मंजूरी की भी आवश्यकता होगी।
5. कृपया इस प्रमाणपत्र की पावती दें।

प्रमुख, आर डी आई
15/05/2023

प्रमुख, आर डी आई

**वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन (सिरो)
के पंजीकरण हेतु नियम और शर्तें**

1. पंजीकरण पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पंजीकरण मान्य होगा। हालांकि, पंजीकरण की वैधता वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी/संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार भिन्न हो सकती है।
2. पंजीकरण, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन को मान्यता की अवधि के दौरान और समय-समय पर लागू प्रासंगिक सरकारी नीतियों के अधीन उपकरणों, संयंत्रों, उनके पुर्जों, उपभोग्य सामग्रियों आदि के आयात पर सीमा शुल्क छूट का लाभ उठाने का अधिकार देगा।
3. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन का पंजीकरण सीमा शुल्क में छूट देने का दावा नहीं करते हैं। छूट वाले हिस्से को उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ अलग से निपटाया जा सकता है। सिरो को समय-समय पर जारी/संशोधित सीमा शुल्क अधिसूचना के नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए।
4. अनुसंधान एवं विकास उपकरण के निपटान/बिक्री के मामले में, लागू अधिसूचनाओं को ध्यान में रखते हुए सीमा शुल्क अधिकारियों से मंजूरी की भी आवश्यकता होगी जिसके तहत उपकरण भारत में आयात/खरीदा गया था।
5. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संगठन द्वारा आयातित उपकरणों, संयंत्रों, उपसाधनों, पुर्जों तथा उपभोग्यों की सूची वार्षिक रिपोर्ट के साथ विभाग को प्रति वर्ष प्रस्तुत की जाएगी।

प्रमाण रूपा
16/05/2023
प्रमुख, सिरो